

# न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com, website -www. scdisabilities.org

पत्रांक- 1395/गा० नि० को०

दिनांक- 28 अक्टूबर 2020

## आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं-55/2019

सेवा में,

निबंधक,

जिला न्यायालय, भागलपुर।

प्रकरण में :- श्री परमानन्द चौधरी (मो-0-8877354620, 8405042757), पुत्र श्री मोहन चौधरी, ग्राम+पो-0- मझवा, भाया-बिहपुर, झाडांपुर फँडी, थाना-बिहपुर, पुलिस जिला-नवगछिया, जिला-भागलपुर से दो लाख रुपया रंगदारी माँगने, मार-पीट करने तथा अन्य तरह से प्रताडित करने के संबंध में परिवाद पत्र।

बनाम :- (1) आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर, बिहार।

(2) थाना प्रभारी, बिहपुर, पुलिस जिला-नवगछिया, भागलपुर।


महाशय,

वाद में पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित थाना प्रभारी का प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त है, जिसे संचिका में संधारित करें। वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के क्रम में अंचल पदाधिकारी, विहपुर, मौजा- मझवा, खाता सं-0-1883, खसरा- 2259 में से 25 डिसमील जमीन पर सामाजिक वानिकी वृक्ष पट्टा योजना के अधीन वृक्ष लगाने का अनुज्ञित पत्र दिया गया था। जमीन पर वादी द्वारा पौधा भी लगाया गया, परंतु (1) राम कृष्ण चौधरी (2) राम प्रिय चौधरी द्वारा पट्टे वाली जमीन के बदले दो लाख रुपया रंगदारी की माँग करते हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते हैं।

वाद की प्रकृति को ध्यान में रखकर इस वाद का स्थानांतरण जिला में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 84 के अंतर्गत अधिसूचित न्यायालय में स्थानांतरण हेतु मूल संचिका निबंधक, जिला न्यायालय, भागलपुर को स्थानांतरित करें। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांग से संबंधित मामलों के निपटारा हेतु विशेष कोर्ट अधिसूचित है।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित संचिका के निष्पादन हेतु कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को पृष्ठांकित करना चाहेंगे।

अनुलंगनक-यथोक्त।

  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

